

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002652016

दांडिक प्रकरण क.-398 / 16

संस्थापित दिनांक-21.10.126

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	अभियोजन
विरुद्ध	
01-महेन्द्र उर्फ पिनपिना पुत्र कच्छेदी कोली आयु 20 वर्ष 02-कान्ताबाई पत्नी कच्छेदी कोली आयु 53 वर्ष निवासीगण बीडी मौहल्ला चंदेरी, जिला अशोकनगर (म0प्र0)	आरोपीगण
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता।	

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 20.03.2018 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354, 323, 506, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 323/34 दो शीर्ष एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी अशाबाई ने दिनांक 18.08.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 18.08.16 समय 22:30 बजे फरियादी के स्टाल के पास बीडी कॉलोनी चंदेरी में वह खाना बनाकर रोड पर घूम रही थी तब आरोपी महेन्द्र आया और उसने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और वह चिल्लाई तो उसका भतीजा अरविद आ गया, फरियादी के अनुसार आरोपी ने अरविंद के साथ मारपीट की तथा आरोपी की मां भी आ गई जिसने मिलकर मारपीट की तथा जान से मारने के धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 404/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 323, 354, 506,34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354, 323/34 दो शीर्ष एवं 506 भाग दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 18.08.16 को समय 22:30 बजे फरियादिया के स्टाल के पास बीड़ी कॉलोनी चंदेरी पर फरियादिया आशाबाई जो कि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

**--:: सकारण निष्कर्ष ::--**

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 आशाबाई, अ.सा.2 अरविंद की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 आशाबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपीगण के विरुद्ध प्र0पी01 की रिपोर्ट लेखवद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया था। अ.सा.2 ने भी इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसकी बुआ का हाथ गलत नियत से पकडा था। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मामले के फरियादी एवं आहत पक्षद्रोही हो गये है। मामले की फरियादी एवं आहत की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी गण द्वारा उक्त घटना दिनांक को फरियादी आशाबाई की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)